भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2097
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण

2097. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित और सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंबित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति हेतु नामों की सूची क्या है ; और

(ख) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित और सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंवित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु नामों की सूची क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : 29.07.2025 तक, 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के समक्ष 779 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 343 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के समक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 139 प्रस्ताव सरकार तथा उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । 204 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी भी उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त होनी हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीशों का मामला) के साथ पठित और उसके 6 अक्तूबर 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों से पद रिक्ति होने से कम से कम 06 मास पहले सिफारिशें करने की अपेक्षा होती है। तथापि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबद्ध राज्य सरकार के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार करना होता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। केवल वे व्यक्ति जिनके नाम की एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है। एमओपी में यह भी उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें जहां से न्यायाधीश स्थानांतरित किया जाना है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें जहां स्थानांतरण किया जाना है, इसके अतिरिक्त, वे उच्चतम न्यायालय के एक या एक से अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखेंगे जो विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हों । मुख्य न्यायमूर्ति सहित संबद्ध न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारकों और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें उनके स्थान की प्राथमिकता भी सम्मिलित है, को प्रस्ताव पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के प्रथम चार अवर न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी स्थानांतरण लोकहित में, अर्थात् पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने हैं। एमओपी में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है ।

****